पत्रांक-I प्रा0आ0-63/2007....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्राकृति आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में पत्र

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना-15, दिनांक- 17/1/09

विषयः प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का/शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या- 32-34/2005- NDM-I, दिनांक 27.06.2007 से संसूचित अद्यतन मानदर के आलोक में प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। सामान्यत: जिन मामलों में मृतक के शव मिल जाते हैं, उनमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा मृत्यु का कारण प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रमाणित किए जाने पर अनुग्रह अनुदान देने में कोई कठिनाई नहीं होती है परन्तु ऐसे मामले जिसमे प्राकृतिक आपदा के कारण यथा- बाढ़ की वजह से नौका दुर्घटना या फ्लैश फ्लड आने से मृतक का शव नहीं मिलता है उन मामलों के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है । ऐसे मामलों में अनुग्रह अनुदान दिए जाने के लिए दिनांक 31.10.08 को आयोजित आपदा राहत कोष समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक आपदा के कारणों से हुई मृत्यु की स्थिति में यदि मृतक का शव नहीं मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के फोटो के साथ समाचार पत्रों में संबंधित व्यक्ति के लापता होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कराई जाएगी तथा एक माह की प्रतीक्षा की जाएगी । इन मामलों में स्थानीय थाना में लापता व्यक्ति के परिजनों द्वारा उसके लापता/ मृत्यु होने से संबंधित सूचना/ प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा जाँच कराई जायेगी। कार्यपालक दण्डाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में साक्ष्य के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हुई तो उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर उस व्यक्ति के Next of kin को अनुग्रह अनुदान का भुगतान जिला पदाधिकारी करेंगे। भुगतान करने से पूर्व इस आशय का बंधपत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि यदि यह पाया गया कि व्यक्ति जीवित है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अनुग्रह अनुदान की पूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव